

जिला-बालोद (छ.ग.)
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
आ.स. अख्यक्ष

जिला-बालोद (छ.ग.)
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
आ.स. अख्यक्ष

27/11/2014

तारीख :
स्थान :

(कोषाख्य/प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और नाम)

इस प्रत्येक को सत्यापित कर रहा है और मैं ऐसा करने के लिए सक्षम भी हूँ ।
मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं, ऊपर नामित राजनीतिक दल की ओर से
हूँ ।

कि मैंने सर्वोच्च न्यायाधीश और विधायक के अनुसार इस प्रत्येक में दी गई जानकारी ठीक, पूर्ण और सही और पर बतवाई गई है ।
मैं, (यदि अक्षरों में पूरा नाम) पुत्री/पुत्री
सत्यापन

का अनुपालन किया गया है (कंपनी से अभिप्राय इस आशय के प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए) ।

7. यदि अभिदात्री एक कंपनी है तो क्या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 239क के अधीन अधिकारित शर्तों है ।

* बैंक/मानदेय ड्राफ्ट द्वारा संदाय की दशा में, उस बैंक या बैंक की शाखा का नाम जिस पर बैंक/मानदेय ड्राफ्ट लिखा गया है ।

क्र.सं.	अभिदात्री व्यक्ति/पुत्री का नाम और पता	पुत्री (यदि कोई हो) और आय-कर वाई / बैंक	आभिदाय की रकम	आभिदाय की सी.टी. डिपॉजिट	दिनांक

6. दिनांक 20/11/2014 से दौरान प्राप्त होने वाले अभिदायों के जो सीमांकन कण से अधिक है और -
की जानी है

संकेतित नहीं राजनीतिक दल की विवरणी फाइल
5. स्थानीय खाना सं. (पुत्री) और वह आय-कर वाई/

विनिर्देशिका की तारीख :

4. निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दल के

3. राजनीतिक दल के मुख्यालय का पता : 27/11/2014 से प्राप्त होने वाले अभिदायों के लिए

(मान्यताप्राप्त/अमान्यताप्राप्त) :

2. राजनीतिक दल की प्राप्ति

1. राजनीतिक दल का नाम :

आय-कर विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए ।

यह प्रत्येक आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन अधिकृत वितीय वर्ष के दौरान राजनीतिक दल की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से पूर्व निर्वाचन आयोग के समक्ष फाइल किया जाना चाहिए और इस आशय की एक प्रमाणपत्र आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन छूट का दावा करने के लिए

(नियम 85ख देखिए)

प्रत्येक 24क

(कम्प्यूटरी नियम और आदेश)

निर्वाचन का संस्करण नियम, 1961

